तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज ननीष शर्मा बनाम लोक सूचना अधिकारी (अति संभागीय आयुक्त), जयपुर अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/1139	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.04.2025	पत्रावली पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी की टिप्पणी पत्रांक एफ19(1)(66) डी नं. 336/EFN/05918/2024/144 दिनांक 30.04.2025 प्राप्त। जिसमें उन्होनें अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रेषित आर.टी.आई आवेदन दिनांक 26.12.2024 इस कार्यालय में दिनांक 30.12.2024 को प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा अपेक्षित सूचना जिला कलक्टर कार्यालय से सम्बन्धित होने के कारण उक्त मूल आवेदन इस कार्यालय के पत्रांक 01 दिनांक 02.01.2025 द्वारा संबंधित लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर जयपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत अन्तरित किया गया है। अपील खारिज कराने का श्रम करावें । हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया। जिससे जाहिर है कि लोक सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी के आर.टी.आई. आवेदन दिनांक 26.12.2024 द्वारा अपेक्षित सूचना जिला कलक्टर कार्यालय से सम्बन्धित होने के कारण उक्त आवेदन लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक 01 दिनांक 02.01.2025 के माध्यम से संबंधित लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर जयपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत प्रेषित की जाकर प्रतिलिपि आवेदन/अपीलार्थी को भी पृष्ठांकन क्रमांक सम/2 दिनांक 02.01.2025 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अब इस हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । अत. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवायी जावें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो । आदेश सुनाया गया । (पूनम) संभागीय आयुक्त, जयपुर	